कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– 1 /प्र0क0–2/2024–25 लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर, 2024

समस्त उपायुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी
(प्रभारी मनोरंजन कर कार्य)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय– प्रदेश में बंद सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने तथा अन्य जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–112/11–5–2024–एम(34)/2017 दिनांक 08.10.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से बन्द पड़े अथवा घाटे में चल रहे छविगृहों को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाहाल सहित व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण, पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों को भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों, प्रदेश में बन्द पड़े एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों, व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण, जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं है, वहॉ मल्टीप्लेक्स खुलवाने, जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित है, उन जनपदों में नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण एवं सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना जारी की गयी है।

अतएव उक्त शासनादेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त का प्रचार–प्रसार कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0– 978 /तददिनांकित।

प्रतिलिपि–1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 112 /11-5-2024-एम(34)/2017

प्रेषक,

एम०देवराज,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त,
राज्य कर,
उ०प्र० लखनऊ।

2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

राज्य कर अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 08 अक्टूबर, 2024

विषय:- प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुन: संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने तथा अन्य जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त राज्य कर के पत्र संख्या-1312/प्र०क०-2/2023-24 दिनांक 04-01-2024 एवं पत्र सख्या-1511/प्र0क0-2/2023-24 दिनांक 14 फरवरी 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सिनेमा व्यवसाय के प्रोत्साहन के संबंध में विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं व कतिपय शासनादेशों के माध्यम से लागू की गयी थी, जो 31-03-2020 को समाप्त हो गयी। वर्ष 2000 से लगभग 800 से अधिक एकल स्क्रीन सिनेमाघर बन्द हो चुके हैं और बन्द होने की यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे बन्द सिनेमाघरों को तोड़कर व्यावसायिक गतिविधियों सहित सिनेमा पुन: संचालित करवाने हेतु वर्तमान में कोई प्रोत्साहन योजना लागू नहीं है। मल्टीप्लेक्स छविगृह की ओर दर्शकों का आकर्षण बढ़ा है, परन्तु अभी भी 39 जनपद ऐसे हैं, जहां एक भी मल्टीप्लेक्स छविगृह संचालित नहीं है। मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन छविगृह निर्माण हेतु दिनांक 31-03-2020 के उपरान्त कोई प्रोत्साहन योजना प्रभावी नहीं है तथा 28 जनपद ऐसे हैं, जिनमें कोई एकल स्क्रीन छविगृह संचालित नहीं है।

2 - अत: जन-सामान्य को स्वस्थ मनोरजन उपलब्ध कराने, प्रदेश में निवेश, राजस्व वृद्धि के साथ-साथ अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से बन्द या संचालित सिनेमाघरों को यथास्थिति, पूर्ण रूप से तोड़कर व्यावसायिक गतिविधियों सहित उन्हें पुनः संचालित करवाने, बन्द अथवा संचालित सिनेमाघरों को रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने तथा मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघारों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, संचालित छविगृहों के उच्चीकरण तथा संचालित एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के स्वामियों की समस्याओं के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित समेकित प्रोत्साहन योजना को लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(i) <u>बन्द पडे अथवा घाटे में चल रहे छविगृहों को पूर्ण रूप से तोडकर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाहाल सहित व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना</u>

इस योजना का लाभ, वर्तमान में बन्द या संचालित ऐसे एकल स्क्रीन सिनेमाघरों को

अनुमन्य होगा, जो योजना लागू होने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कर जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। इस योजना के अंतर्गत निर्मित सिनेमाघरों को प्रथम तीन वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 100 प्रतिशत एवं शेष दो वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।

संबंधित नियम व शर्तें संलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं।

(ii) <u>पुराने बन्द पडे एवं संचालित सिनेमाघरों को भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों हेतु प्रोत्साहन योजना</u>

इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा, जो योजना लागू होने की तिथि से 05 वर्ष के अंदर,

(अ) आन्तरिक संरचना में परिवर्तन (रिमॉडलिंग) कार्य पूर्ण कर सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।

(ब) कोई पुराना छविगृह, जहां एक या दो स्क्रीन का संचालन हो रहा है, को रिमॉडल कर स्क्रीन की संख्या में वृद्वि करने पर बढाये गये स्क्रीन का सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लिया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स को प्रथम तीन वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 75 प्रतिशत तथा शेष 02 वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।

संबंधित नियम व शर्तें संलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं।

(iii) <u>प्रदेश में बन्द पडे एकल सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों हेतु प्रोत्साहन योजना</u>

इस योजना का लाभ प्रदेश में दिनांक 31-03-2024 तक बन्द हो चुके एकल सिनेमाघरों को, बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने हेतु संचालन की तिथि से प्रथम तीन वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी। इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा, जो विलम्बतम् दिनांक 31.03.2025 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।

संबंधित नियम व शर्तें संलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं।

(iv) <u>व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना</u>

इस योजना का लाभ व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतु ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा, जो योजना जारी होने की तिथि से अग्रतर 05 वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कर जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रथम तीन वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 100 प्रतिशत तथा अंतिम 02 वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।

संबंधित नियम व शर्तें संलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं।

(v) <u>जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं है, वहाँ मल्टीप्लेक्स खुलवाने हेतु प्रोत्साहन योजना</u>

प्रदेश के ऐसे जनपदों, जिनमें एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/ संचालित नहीं है, में नये मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत निर्मित/संचालित मल्टीपलेक्स योजना लागू होने की तिथि से 05 वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कर जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित/संचालित मल्टीप्लेक्स को पांच वर्ष तक एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 100 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य की जायेगी।

संबंधित नियम व शर्तें संलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं।

(vi) <u>जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित है, उन जनपदों में नवीन मल्टीपलेक्स निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना</u>

उन जनपदों, जिनमें पूर्व से ही मल्टीप्लेक्स निर्मित होकर संचालित हैं, में नवीन मल्टीप्लेक्स निर्माण हेतु अनुदान प्रदान किया जायेगा। इस योजना का लाभ उन मल्टीप्लेक्स को अनुमनय होगा, जो योजना लागू होने की तिथि से 05 वर्ष के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कर जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। इस योजना के अंतर्गत संबधित मल्टीपलेक्स को प्रथम तीन वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 100 प्रतिशत तथा अंतिम 02 वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी।

संबंधित नियम व शर्तें संलग्नक 'क' पर उपलब्ध हैं।

(vii) <u>सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण हेतु वर्तमान में लागू प्रोत्साहन योजना</u>

इस योजना के अंतर्गत एकल स्क्रीन छविगृह/ मल्टीप्लेक्स के उच्चीकरण हेतु निम्न वर्णित एक अथवा अनेक मदों में, निवेश की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक का अनुदान, एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि के रूप में अनुमन्य होगाः-

- एयर कंडीशनिंग/एयर कूलिंग
- जेनरेटर सेट क्रय
- ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण
- सारे सीट बदलने
- फाल्स-सीलिंग बदलने
- डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली
- सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र

संबंधित नियम व शर्तें संलग्नक 'ख' पर उपलब्ध है।

<u>अनुदान की शर्तें</u> :-

(i) इस योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-714/11-6-15-एम(72)/2010 दिनांक 03-09-2015 एवं शासनादेश संख्या-564/11-6-2017-एम(34)/17 दिनांक 28-07-2017 से प्रोत्साहित होकर जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकरण के समक्ष निर्माण की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट/सक्षम प्राधिकरण के सतर से निर्माण की अनुमति मिलने में हुए विलम्ब या किन्ही अन्य अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31-03-2020 तक लाइसेंस प्राप्त न कर पाने वाले छविगृहों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है।

(ii) यह योजना लागू होने के दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावी होगी।

(iii) अनुमन्य अनुदान की धनराशि की वापसी (रिफन्ड) योजना की अवधि में संबंधित को आनलाइन माध्यम से समयबद्ध रूप से, सुगमता एवं सरलता से प्राप्त होने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(iv) योजनावार नियम व शर्तें संलग्नक-'क' एवं 'ख' के अनुसार होंगी।

3 - उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित योजनाओं में प्रस्तावित अनुदान की धनराशि वास्तविक रूप में एकत्रित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

4- इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by M.devaraj

Date: 07-10-2024 20:46:45

(एम०देवराज)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 112 (1)/11-5-2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0 प्रयागराज।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

3- आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

4- उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।

5- अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, उ०प्र०।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।

7- सूचना अनुभाग-2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)

विशेष सचिव।

<u>संलग्नक-क</u>

<u>विशिष्ट शर्तें एवं प्रतिबंध</u>

1. बन्द पड़े अथवा संचालित सिनेमाघर को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यूनतम 75 आसन क्षमता के सिनेमाघर सहित व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु

(i) शासनादेश संख्या-1669/11-क0नि0-6-2004-बीस.एम.(36)/99 दिनांक 03.09.2004 के प्रस्तर-3(3) में उल्लिखित उपबन्ध को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा-

"पुनर्निर्मित भवन में कम से कम 75 आसन क्षमता के छविगृह का निर्माण करना होगा। इस आसन क्षमता का निर्माण एक ही छविगृह में अथवा एक से अधिक छविगृहों में, उ0प्र0 चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम-14(दो) के अनुरूप भवन के किसी भी तल पर सम्मिलित रूप से किया जा सकेगा।"

(ii) शासनादेश संख्या-1669/11-क0 नि0-6-2004-बीस.एम.(36)/99 दिनांक 03.09.2004 के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

2. पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघर को भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघर हेतुः-

(i) रिमॉडल/पुनर्संरचित छविगृह में कम से कम 75 आसन क्षमता का छविगृह बनाना अनिवार्य होगा और उक्त निर्माण, उ0प्र0 चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम-14(दो) के अनुरूप भवन के किसी भी तल पर किया जा सकेगा, शासनादेश संख्या-231/11-6-11-बीस.एम.(19)/2008 दिनांक 20.05.2011 के प्रस्तर-3(1) को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(ii) संबंधित छविगृह को सक्षम प्राधिकरण द्वारा रिमॉडल/पुनर्संरचना के लिए प्रदान की गयी अनुमति की तिथि से, रिमॉडल/पुनर्संरचना हेतु 02 वर्ष का समय दिया जायेगा, जिसे सक्षम प्राधिकरण इस प्रोत्साहन योजना के जारी रहने की अवधि तक विस्तारित कर सकते है, शासनादेश दिनांक 20.05.2011 के प्रस्तर-3(2) को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(iii) छविगृह को रिमॉडल/पुर्नसंरचित किये जाने की अनुमति सक्षम प्राधिकरण के स्तर से प्रदान की जायेगी तथा पुराने सिनेमा भवन को तोड़कर सिनेमा हॉल सहित व्यावसायिक काम्पलेक्स का पुनर्निर्माण किये जाने की सुविधा विषयक शासनादेश संख्या-231/11-6-11-बीस.एम.(19)/2008 दिनांक 20 मई, 2011 के प्रस्तर-3(5), 3(6) एवं प्रस्तर-4 को छोड़कर शेष प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

ऐसे सिनेमाघर को इस योजना में प्रोत्साहन के लिए प्रतिबंध यह है कि संबंधित सिनेमाघर को रिमाडलिंग से संबंधित किसी योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त हुआ है अथवा प्राप्त हो रहा है, तो संबंधित सिनेमाघर को इस अनुदान की योजना के अन्तर्गत लाभ तभी अनुमन्य किया जाये, जब संबंधित सिनेमा को अनुदान अवधि पूर्ण होने के उपरान्त अग्रतर निर्धारित अवधि तक बिना अनुदान के संचालित किया जा चुका हो।

3. प्रदेश में बन्द पड़े सिनेमाघर को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों हेतुः-

(i) लाइसेंसी द्वारा अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना-पत्र देते समय, अपने छविगृह को पुनः संचालित करने में हुये व्यय (यथा-साज-सज्जा, सीटों का क्रय/मरम्मत आदि के संबंध) से संबंधित, बिल/वाउचर, भुगतान की गयी धनराशि के संबंध में बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा।

4. व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतुः-

(i) कम से कम 75 आसन क्षमता के छविगृह का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

5. जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं है, वहाँ मल्टीप्लेक्स खुलवाने तथा अन्य जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजनाः-

(i) निम्नलिखित ''सामान्य शर्तें/प्रतिबंध'' लागू होंगे।

<u>सामान्य शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

उपर्युक्त वर्णित सभी वर्गों पर निम्न शर्तें/प्रतिबन्ध लागू होंगे-

(i) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस स्वीकृत करने की तिथि पर इस बात से संतुष्ट होना होगा कि मल्टीप्लेक्स/एकल छविगृह, चलचित्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु बनकर पूर्णतया तैयार है और यथा-अपेक्षित सक्षम प्राधिकरण द्वारा ''पूर्णता प्रमाण-पत्र'' जारी कर दिया गया है। ''पूर्णता प्रमाण-पत्र'' की शर्त आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये बिना अर्थात्-यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले छविगृहों पर लागू नहीं होगी।

(ii) आवेदक द्वारा इस योजना से प्रभावित होकर एकल सिनेमा/मल्टीप्लेक्स छविगृह के निर्माण की अनुमति (यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले छविगृहों को छोड़कर) संबंधित सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त की जायेगी। सक्षम प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार निर्माण की अनुमति प्रदान करने की सूचना आवेदक के साथ-साथ संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भी प्रदान की जायेगी।

(iii) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस स्वीकृत करने के पश्चात्, लाइसेंसी द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रारूप में आवेदन तथा रू0-100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध पत्र, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(iv) मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर के स्वामी/लाइसेंसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने के साथ-साथ मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर की लागत का पूरा वास्तविक ब्यौरा, स्वयं के व्यय पर शासकीय मूल्यांकक से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसमें भूमि की कीमत, व्यावसायिक प्रयोजन से किये गये निर्माण यथा-मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर के तलों के अतिरिक्त अन्य तलों पर किये गये व्यावसायिक निर्माण तथा उन निर्माण में उपयोग होने वाले रैम्प, एस्केलेटर (Escalator), सीढ़ियों का निर्माण तथा बेसमेन्ट में दुकानें, होटल, स्वीमिंग पूल आदि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, परन्तु मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों में लगे उपकरण, किये गये साज-सज्जा आदि की लागत सम्मिलित की जायेगी।

(v) जो सिनेमाघर, शासन की किसी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निर्मित हुए हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत अनुमति तभी प्रदान की जायेगी, जब ऐसे सिनेमाघरों का संचालन, प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त कम से कम 05 वर्ष तक किया जा चुका हो।

(vi) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि अनुदान स्वीकृति हेतु आवश्यक सभी अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा उनके तथ्य एवं आंकडें पूर्णतः सत्य हैं, निर्धारित प्रारूप में, अनुदान आदेश जारी किया जायेगा तथा अनुदान प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से अनुमन्य होगा।

(vii) यदि मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर से संबंधित, निर्माण की लागत (जो शासकीय मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित की गयी है), अनुदान हेतु निर्धारित अवधि के पूर्ण होने की तिथि से पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो अनुदान हेतु निर्धारित अवधि की शेष समयावधि के लिये कोई अनुदान देय नहीं होगा।

(viii) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कम से कम आगामी उतने वर्षों की अवधि तक, मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा, जितने वर्षों हेतु इस योजना के अंतर्गत संबंधित मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर को अनुदान अनुमन्य किया जाना प्राविधानित है और इस पश्चातवर्ती अवधि में, अनुदान की अवधि में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(ix) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर के लाइसेंसी द्वारा प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकटों से प्राप्त आय का लेखा-जोखा, उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/उ0प्र0 माल और सेवा कर नियमावली, 2017 द्वारा विहित-प्रक्रिया तथा इस संबंध में शासन/आयुक्त, राज्य कर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तैयार किया जायेगा। अनुदान की अवधि में, कर की राशि का लेखा-जोखा अलग से तैयार किया जायेगा।

(x) एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह के लाइसेंसी द्वारा अनुदान अवधि में दर्शकों से संग्रहीत राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् उसे अनुदान के रूप में अनुमन्य/स्वीकृत राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

(xi) इस योजना के तहत, अनुदान प्राप्त करने वाले मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों को अनुदान या इस योजना द्वारा विशिष्ट रूप से नियत समयावधि में से जो अधिक हो, तक, इस योजना के अतिरिक्त, किसी अन्य अनुदान योजना या उच्चीकरण योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(xii) छविगृह स्वामी को सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली तथा उसके अंतर्गत विहित अधिकारों के अधीन समय-समय पर जारी शासन/आयुक्त, राज्य कर/जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(xiii) शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यदि यह समाधान हो जाता है कि मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण में उससे संबंधित अधिनियम, नियमावली, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टियों या सुसंगत शासनादेश की किसी भी सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा और अनुदान की समस्त धनराशि ,लाइसेंसी को प्राप्त होने की तिथि से अनुदान निरस्त होने के उपरान्त राजकोष में जमा होने की तिथि तक, 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ''भू-राजस्व बकाया'' की भांति वसूल कर राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

संलग्नक-ख

सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना की शर्तें/प्रतिबन्ध -

(i) संबंधित सिनेमाघर स्वामी को, वर्णित मदों में निवेश करने से पूर्व, आवेदन करते समय, उपरोक्त मद हेतु प्रस्तावित उच्चीकरण कार्य का विस्तृत विवरण/अनुमानित व्यय का आगणन जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(ii) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त आगणन को अनुमोदित करते हुए प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी तथा वास्तविक व्यय का आगणन, उच्चीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात किया जायेगा।

(iii) छविगृह स्वामी द्वारा प्रस्तावित उच्चीकरण कार्य के मद में होने वाले समस्त व्यय का भुगतान चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

(iv) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उच्चीकरण कार्यों के कार्यान्वयन के समय आवश्यकतानुसार लोक निर्माण विभाग अथवा स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं एवं राज्य कर विभाग के अधिकारी से समय-समय पर निरीक्षण कराकर प्रस्तावित उच्चीकरण कार्य वास्तव में कराये जा रहे हैं, की पुष्टि की जायेगी।

(v) छविगृह स्वामी द्वारा उच्चीकरण कार्य पूर्ण होने की सूचना तथा अनुदान स्वीकृत करने हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूप-4 में आवेदन पत्र (मय कराये गये उच्चीकरण कार्य से संबंधित बिल/वाउचर एवं भुगतान की धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण-पत्र सहित), जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा तकनीकी विशेषज्ञों से इस तथ्य की पुष्टि कराने के पश्चात कि उच्चीकरण कार्य वास्तव में कराया गया है और क्रय किये गये यन्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री आदि नये हैं और उनकी आपूर्ति वास्तव में की गयी है, संबंधित मद में अनुदान की स्वीकृति प्रदान करते हुये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप-5 में अनुदान आदेश जारी किया जायेगा।

(vi) अनुदान आदेश जारी करने के पूर्व सिनेमा स्वामी द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध-पत्र भरा जायेगा।

(vii) अनुदान का लाभ छविगृह में संबंधित उच्चीकरण कार्य के पूर्ण कर लेने के पश्चात् प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से ही अनुमन्य होगा अर्थात अनुदान उस तिथि से ही स्वीकृत किया जायेगा, जिस तिथि को उच्चीकरण कार्य पूर्ण कर प्रथम फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ है।

(viii) छविगृह स्वामी द्वारा कराये गये उच्चीकरण कार्य से संबंधित यन्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री आदि को अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि तक क्रियाशील बनाये रखना होगा।

(ix) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कम से कम आगामी उतनी अवधि तक, सिनेमाघर में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा, जितनी अवधि हेतु इस योजना के अंतर्गत संबंधित सिनेमाघर को अनुदान अनुमन्य किया जाना प्राविधानित है और इस पश्चातवर्ती अवधि में, अनुदान की अवधि में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(x) अनुदान अवधि समाप्त होने के पश्चात उतनी अवधि तक सिनेमाघर को उपरोक्तानुसार संचालित किये जाने के पश्चात् ही उच्चीकरण कराये जाने पर ही इस योजना के तहत अनुदान अनुमन्य होगा।

(xi) इस योजना का लाभ, किसी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, नवनिर्मित सिनेमाघरों में प्रथम फिल्म प्रदर्शन से 11 वर्ष की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा।

(xii) अनुदान के रूप में अनुमन्य/स्वीकृत राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान के रूप में अनुमन्य राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि को वापस किया जायेगा।

(xiii) इस संबंध में शासन/आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का पालन किया जायेगा।

(xiv) यदि जिला मजिस्ट्रेट अथवा शासन को यह समाधान हो जाता है कि अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया/करवाया गया है अथवा यह संज्ञान में आता है कि बतायी गयी निवेश की धनराशि वास्तविक निवेश से कम है या उपरोक्त वर्णित किसी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो

शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि अनुदान के रूप में दी गयी धनराशि का आनुपातिक अंश, अनुदान निरस्त होने के उपरान्त राजकोष में जमा होने की तिथि तक , 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ''भू-राजस्व बकाया'' की भांति लाइसेंसी से वसूल कर राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

प्रारूप–1

शासनादेश संख्या–...दिनांक............................के अंतर्गत, अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट

.... ।

महोदय,

मैं,..(लाइसेंसी का नाम),..(मल्टीप्लेक्स / छविगृह का नाम), स्थान...(मल्टीप्लेक्स / छविगृह का पूरा पता) वर्णित शासनादेश के प्रस्तर–............ पर वर्णित वर्ग..से आच्छादित हूँ। मैं वर्णित शासनादेश में अन्तर्निहित सुसंगत शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन, प्रथम फिल्म प्रदर्शन के दिनांक............ ....से एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के, प्रथम वर्ष.........................प्रतिशत, द्वितीय वर्ष............. ....प्रतिशत, तृतीय वर्ष..............प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष..................प्रतिशत एवं पंचम वर्ष..........................प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का अनुदान स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना इस वचन के साथ करता हूँ कि यदि शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार भवन की लागत / बन्द सिनेमा को यथास्थिति संचालित किये जाने में किये गये व्यय की धनराशि रू0...........................(रूपये..), शासनादेश द्वारा अनुदान हेतु अनुमन्य (....................वर्ष की) अवधि पूरी होने के पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो (................. वर्ष की) शेष अवधि के लिये अनुदान प्राप्त नहीं करूंगा।

2–मल्टीप्लेक्स / छविगृह में सार्वजनिक फिल्मों के प्रदर्शन हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत लाइसेंस की प्रतियां एवं वर्णित शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रारूप–3 में रू0–100.00 के स्टाम्प पेपर, अनुबन्ध पत्र तथा लागत के संबंध में अपेक्षित शासकीय मूल्यांकक का प्रमाण–पत्र एवं निवेश की गयी धनराशि का मदवार विस्तृत विवरण साक्ष्यों सहित संलग्न कर रहा हूं।

दिनांक :

लाइसेंसी का हस्ताक्षर..............................

एकल / मल्टीप्लेक्स छविगृह का नाम व स्थान............................

मो0नं0............................

ई–मेल आई0डी0.........................

प्रारूप–2

शासनादेश संख्या–...दिनांक......................... के अंतर्गत, अनुदान स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश

आदेश

संख्या / दिनांक

श्री / श्रीमती / मे0...लाइसेंसी.... ....स्थित–.. ....में, शासनादेश संख्या–...दिनांक.. ......के प्रस्तर–..........पर वर्णित वर्ग.. ....में अन्तर्निहित सुसंगत शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन, प्रथम फिल्म प्रदर्शन के दिनांक... ....सेएकत्रित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि का, प्रथम वर्ष................प्रतिशत, द्वितीय वर्ष.......... .....प्रतिशत, तृतीय वर्ष................प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष................प्रतिशत एवं पंचम वर्ष.....................प्रतिशत के समतुल्य धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता हैः–

2–अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगीः–

(1) मल्टीप्लेक्स / एकल स्क्रीन छविगृह के स्वामी / लाइसेंसी को किसी भी दशा में, यथास्थिति, शासकीय मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित मल्टीप्लेक्स / छविगृह के निर्माण (इसमें भूमि का मूल्य, व्यावसायिक प्रयोजन से किये गये निर्माण यथा–मल्टीप्लेक्स / एकल स्क्रीन सिनेमाघर के तलों के अतिरिक्त अन्य तलों पर किये गये व्यावसायिक निर्माण तथा उन निर्माण में उपयोग होने वाले रैम्प, एस्केलेटर (Escalator), सीढ़ियों का निर्माण तथा बेसमेन्ट में दुकानें, होटल, स्वीमिंग पूल आदि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा) की लागत (मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों में लगे उपकरण, किये गये साज–सज्जा आदि की लागत सम्मिलित की जायेगी) या बन्द सिनेमा को यथास्थिति संचालित किये जाने में किये गये व्यय की धनराशि रू0..............................(रूपया..) से अधिक अनुदान अनुमन्य नहीं होगा और यदि यह धनराशि, अनुदान हेतु अनुमन्य अवधि (.....................वर्ष) पूरी होने के पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो.......................वर्ष की शेष अवधि के लिये कोई अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

(2) अनुदान के रूप में अनुमन्य / स्वीकृत राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान के रूप में अनुमन्य राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि को वापस किया जायेगा।

(3) मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघर के लाइसेंसी द्वारा प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकटों से प्राप्त आय का लेखा–जोखा, उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 / उ0प्र0 माल और सेवा कर नियमावली, 2017 द्वारा विहित–प्रक्रिया तथा इस संबंध में शासन / आयुक्त, राज्य कर / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तैयार किया जायेगा। कर से छूट की अवधि में, कर की राशि का लेखा–जोखा अलग से तैयार किया जायेगा।

(4) मल्टीप्लेक्स/एकल छविगृह स्वामी को सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली तथा उसके अन्तर्गत विहित अधिकारों के अधीन समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(5) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कम से कम आगामी.......... ....वर्षों की अवधि तक, मल्टीप्लेक्स/एकल छविगृह में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा तथा इस पश्चातवर्ती अवधि में, अनुदान की अवधि में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(6) शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यदि यह समाधान हो जाता है कि मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन छविगृह के निर्माण में उससे संबंधित अधिनियम, नियमावली, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टियों या उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों की किसी भी सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के अधार पर प्राप्त किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा और अनुदान की समस्त धनराशि, लाइसेंसी को प्राप्त होने की तिथि से अनुदान निरस्त होने के उपरान्त राजकोष में जमा होने की तिथि तक, 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ''भू–राजस्व बकाया'' की भांति वसूल कर राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

(.................................)
जिला मजिस्ट्रेट
जनपद–........................

प्रारूप–3

अनुबन्ध पत्र

(रू0 100.00 के स्टॉम्प पेपर पर मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन छविगृह के लाइसेंसी द्वारा निष्पादित किया जायेगा)

यह विलेख आज दिनांक..................................को श्री...(जिसे अग्रेतर ''आबद्ध व्यक्ति'' कहा गया है) पुत्र श्री.. स्थायी निवासी...जो सम्प्रति...में निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट...(जिसे अग्रेतर ''जिला मजिस्ट्रेट'' कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है।

आबद्ध व्यक्ति, उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद...स्थित...(जिसे अग्रेतर ''आमोद'' कहा गया है) का लाइसेंसी है और इस निमित्त शासनादेश संख्या–...दिनांक..................................के प्रस्तर–........पर वर्णित वर्ग..के अंतर्गत अनुमन्य राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि के रूप में देय अनुदान हेतु आबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैः–

1–(1) आबद्ध व्यक्ति को वर्णित शासनादेश दिनांक......................................के प्रस्तर............के अनुसार अनुदान के रूप में अनुमन्य/स्वीकृत राज्य माल और सेवा कर कीधनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात् उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(2)आबद्ध व्यक्ति शासनादेश की सभी शर्तों/प्रतिबन्धों तथा सुसंगत समस्त अधिनियमों/नियमावलियों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा।

(3) आबद्ध व्यक्ति, वर्णित योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात कम से कम आगामी उतने वर्षों की अवधि तक, आमोद में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा, जितने वर्षों हेतु इस योजना के अंतर्गत संबंधित आमोद को अनुदान अनुमन्य किया जाना प्राविधानित है और इस अवधि में पूर्व (अनुदान की अवधि) में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(4)आमोद से संबंधित, निर्माण की लागत (जो शासकीय मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित की गयी है) या बन्द छविगृह की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये बिना यथास्थिति संचालित किये जाने की दशा में किये गये व्यय की धनराशि, अनुदान हेतु अनुमन्य अवधि के पूर्ण होने की तिथि से पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो अनुदान हेतु अनुमन्य अवधि की शेष समयावधि के लिए, आबद्ध व्यक्ति, अनुदान प्राप्त नहीं करेगा।

(5)यदिआमोद के निर्माण में उससे संबंधित अधिनियम, नियमावली, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टियों या उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश या उक्त में अन्तर्निहित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो आबद्ध व्यक्ति द्वारा, अनुदान के रूप में प्राप्त की गयी समस्त धनराशि, अनुदान की धनराशि प्राप्त करने की तिथि से अनुदान निरस्त होने के उपरान्त राजकोष में जमा होने की तिथि तक, 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राजकोष में जमा की जायेगी।

2– जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं:–

(1) अनुदान निरस्तीकरण हेतु वर्णित परिस्थितियों में से किसी के पाये जाने की दशा में, अनुदान का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करना।

(2) अनुदान निरस्तीकरण की दशा में, अनुदान सहित प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से अनुदान निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गयी समस्त कर की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित राजकोष में जमा करने हेतु आबद्ध व्यक्ति को आदेशित करना।

3– जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो:–

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य यथा प्रयोज्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अथवा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 या तत्समय प्रवर्तनीय किसी अन्य सुसंगत अधिनियम से है।

(2) ''आबद्ध व्यक्ति'' के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशी भी सम्मिलित है।

(3) ''नियमावली'' का तात्पर्य यथा प्रयोज्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 अथवा उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 या तत्समय प्रवर्तनीय किसी अनुमन्य सुसंगत नियमावली से है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आबद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर **जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर**

यह विलेख निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

1– 2–

<u>प्रारूप–4</u>

शासनादेश संख्या–..दिनांक..................................के अंतर्गत, अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

.... ।

महोदय,

मैं,...(लाइसेंसी का नाम)...(छविगृह का नाम), स्थान...(छविगृह का पूरा पता) में, वर्णित शासनादेश के प्रस्तर–3(च) पर वर्णित वर्ग ''सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना'' के अंतर्गत, उच्चीकरण संबंधी कराये गये कार्य/कार्यों यथा–एयर कंडीशनिंग/एयर कूलिंग, जेनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सारी सीट बदलने, फाल्स सीलिंग बदलने, डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र में निवेश की गयी धनराशि रू0–..की 50 प्रतिशत धनराशि रू0–......................................(रूपया..) का अनुदान, वर्णित शासनादेश में अन्तर्निहित सुसंगत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना करता हूँ।

2– छविगृह में वर्णित मद/मदों में निवेश की गयी धनराशि का साक्ष्यों सहित मदवार विस्तृत विवरण, यथा व्यय की गयी धनराशि से संबंधित वाउचर/बिल, भुगतान की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र एवं वर्णित शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रारूप–3 में रू0–100.00 के स्टाम्प पेपर पर, अनुबन्ध पत्र संलग्न कर रहा हूँ।

दिनांक–

लाइसेंसी के हस्ताक्षर..................................

एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह का नाम व स्थान..................................

मो0नं0..................................

ई–मेल आई0डी0..................................

<u>प्रारूप–5</u>

शासनादेश संख्या–..दिनांक...............................के अंतर्गत, अनुदान स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश

आदेश

संख्याः / दिनांकः

श्री / श्रीमती / मे0..में, शासनादेश संख्या–..दिनांक............................ के प्रस्तर–.......... पर वर्णित वर्ग ''सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना'' के अंतर्गत, शासनादेश में अन्तर्निहित सुसंगत शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन, उच्चीकरण संबंधी कराये गये कार्य / कार्यों यथा–एयर कंडीशनिंग / एयर कूलिंग, जेनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सारी सीट बदलने, फाल्स सीलिंग बदलने, डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र में निवेश की गयी धनराशि रू0–..की 50 प्रतिशत धनराशि रू0–...(रूपया...) की सीमा तक, एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के समतुल्य धनराशि,अनुदान के रूप मेंस्वीकृत की जाती हैः–

2– अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगीः–

(1) छविगृह के लाइसेंसी द्वारा अनुदान के रूप में अनुमन्य / स्वीकृत राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(2) अनुदान अवधि में सिनेमाघर के लाइसेंसी द्वारा प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकटों से प्राप्त आय का लेखा–जोखा, उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 / उ0प्र0 माल और सेवा कर नियमावली, 2017 द्वारा विहित–प्रक्रिया तथा इस संबंध में शासन / आयुक्त, राज्य कर / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तैयार किया जायेगा।

(3) छविगृह स्वामी को सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली तथा उसके अंतर्गत विहित अधिकारों के अधीन समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(4) छविगृह में कराये गये उच्चीकरण कार्य से संबंधित यन्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री आदि को अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि तक क्रियाशील बनाये रखना होगा।

(5) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कम से कम आगामी उतनी अवधि तक, सिनेमाघर में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा, जितने वर्षों हेतु इस योजना के अंतर्गत संबंधित सिनेमाघर को अनुदान अनुमन्य किया जाना प्राविधानित है और इस पश्चातवर्ती अवधि में, अनुदान की अवधि में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(6) अनुदान अवधि समाप्त होने के पश्चात उतनी अवधि तक सिनेमाघर को उपरोक्तानुसार संचालित किये जाने के पश्चात् ही उच्चीकरण कराये जाने पर ही इस योजना के तहत अनुदान अनुमन्य होगा।

(7) यदि शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि एकल स्क्रीन छविगृह में कराये गये उच्चीकरण कार्य से संबंधित किसी विधिक प्राविधान या उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश की किसी भी सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा और अनुदान के रूप में प्राप्त धनराशि का आनुपातिक अंश, लाइसेंसी को प्राप्त होने की तिथि से अनुदान निरस्त होने के उपरान्त राजकोष में जमा होने की तिथि तक, 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ''भू–राजस्व बकाया'' की भांति वसूल कर राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(...............................)
जिला मजिस्ट्रेट
जनपद–.......................

प्रारूप–6

अनुबन्ध पत्र

(रू0–100.00 के स्टाम्प पेपर पर एकल स्क्रीन छविगृह के लाइसेंसी द्वारा निष्पादित किया जायेगा)

यह विलेख आज दिनांक.......................................को श्री ....(जिसे अग्रेतर आबद्ध व्यक्ति कहा गया है) पुत्र श्री...स्थायी निवासी..... ....जो सम्प्रति...में निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट..................................(जिसे अग्रेतर ''जिला मजिस्ट्रेट'' कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है।

आबद्ध व्यक्ति, उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के प्राविधानों के अंतर्गत जनपद ....स्थित...(जिसे अग्रेतर ''आमोद'' कहा गया है) का लाइसेंसी है और इस निमित्त शासनादेश संख्या–.. ....दिनांक..के प्रस्तर.................पर वर्णित वर्ग ''सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना'' के अंतर्गत, आबद्ध व्यक्ति द्वारा राज्य माल और सेवा कर से अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

1- (1) आबद्ध व्यक्ति को वर्णित शासनादेश दिनांक...के अनुसार अनुदान के रूप में अनुमन्य/स्वीकृत राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(2) आबद्ध व्यक्ति शासनादेश की सभी शर्तों/प्रतिबन्धों तथा सुसंगत समस्त अधिनियमों/नियमावलियों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा।

(3) आबद्ध व्यक्ति, छविगृह में कराये गये उच्चीकरण कार्य से संबंधित यन्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री आदि को अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि तक क्रियाशील बनाये रखेगा।

(4) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कम से कम आगामी उतनी अवधि तक, सिनेमाघर में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा, जितनी अवधि हेतु इस योजना के अंतर्गत संबंधित सिनेमाघर को अनुदान अनुमन्य किया जाना प्राविधानित है और इस पश्चातवर्ती अवधि में, अनुदान की अवधि में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(5) यदि जिला मजिस्ट्रेट अथवा शासन को यह समाधान हो जाता है कि कराये गये उच्चीकरण कार्य में उससे संबंधित किसी विधिक प्राविधान या उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश या उक्त में अन्तर्निहित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो आबद्ध व्यक्ति द्वारा, अनुदान के रूप में प्राप्त की गयी धनराशि का आनुपातिक अंश, प्राप्त होने की तिथि से अनुदान निरस्त होने के उपरान्त राजकोष में जमा होने की तिथि तक, 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित ''भू–राजस्व बकाया'' की भांति राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

2– जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं:–

(1) अनुदान निरस्तीकरण हेतु वर्णित परिस्थितियों में से किसी के पाये जाने की दशा में, अनुदान आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करना।

(2) अनुदान निरस्तीकरण की दशा में, अनुदान के रूप में दी गयी समस्त धनराशि को 18 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित राजकोष में जमा करने हेतु आबद्ध व्यक्ति को आदेशित करना।

3— जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो—

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य यथा प्रयोज्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अथवा उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 या तत्समय प्रवर्तनीय किसी अन्य सुसंगत अधिनियम से है।

(2) ''आबद्ध व्यक्ति'' के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशी भी सम्मिलित है।

(3) ''नियमावली'' का तात्पर्य यथा प्रयोज्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 अथवा उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 या तत्समय प्रवर्तनीय किसी अनुमन्य सुसंगत नियमावली से है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष की आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आबद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर **जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर**

यह विलेख निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

1— 2—